भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4085

उत्तर देने की तारीख : 30.03.2026

एमएसएमई कार्यबल के लिए कौशल विकास पहल

4085. श्री एस निरंजन रेड्डी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, भारत के कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी कम कुशल (कौशल स्तर 1) और अर्ध-कुशल (कौशल स्तर 2) श्रेणियों मे आता है, जिनकी औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण तक सीमित पहुंच है;

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में कौशल अंतर को पाटने के लिए उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी सहित अन्य क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार एमएसएमई के लिए कौशल विकास और प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और वित्तीय सहायता का विचार रखती है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) का संचालन करता है और उसमें यह उल्लेख किया है कि न्यून कौशलयुक्त (कौशल स्तर 1) और अर्द्ध-कौशलयुक्त (कौशल स्तर 2) के अंतर्गत आने वाले भारत के कार्यबल के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। पीएलएफएस कार्यकलापों में सक्रिय सहभागिता और जनसंख्या के रोजगार अथवा गैर-रोजगार की स्थिति की जानकारी प्रदान करने के संबंध में प्राथमिक स्रोत है। पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 15-29 वर्ष तथा 15-59 वर्ष के आयु समूह के लोगों का प्रतिशत वितरण निम्नानुसार है:-

आयु समूह	व्यावसायिक /तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त		व्यावसायिक /तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले	कुल
	औपचारिक	औपचारिक के अलावा		
15-29 वर्ष	4.9	21.2	73.9	100.0
15-59 वर्ष	4.1	30.6	65.3	100.0

(ख) और (ग) : कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) देशभर में युवाओं के पूर्व शिक्षण को मान्यता (आरपीएल) प्रदान करके उन्हें को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) तथा कौशल उन्नयन और पुन: कौशल प्रदान करके कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल भारत कार्यक्रम के भाग के रूप में वित्त वर्ष 2022-23 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित युवाओं सहित अन्य युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल से संपन्न करके उनकी रोजगारपरकता को बढ़ाना है।

पीएमकेवीवाई 4.0 एक मांग आधारित स्कीम है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के बीच चिन्हित किए गए कौशल अंतराल को कम करना है। ऐसे अंतराल की पहचान को क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा किए गए कौशल अंतराल अध्ययनों के जरिए सुविधाजनक बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में गठित जिला कौशल समितियां जमीनी स्तर पर कौशल विकास और प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विकेन्द्रीकृत आयोजना को बढ़ावा देने के लिए जिला कौशल विकास योजनाएं (डीएसडीपी) तैयार करती हैं। डीएसडीपी रोजगार की संभावना के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की पहचान करती है और संबंधित कौशल मांग का आकलन करती है। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत कृषि, आईटी-आईटीईएस, ऑटोमोटिव, दूरसंचार, हाइड्रोकार्बन आदि जैसे 30 से अधिक क्षेत्रों में कुल 27,09,984 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है/उन्हें इस ओर उन्मुख किया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का देशभर में प्रौद्योगिकी केन्द्रों का एक नेटवर्क है जो सामान्य अभियांत्रिकी, फॉर्जिंग और फाउंड्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सुगंध और सुरस, कांच, फुटवियर और खेलकूद के सामान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशील उद्योगों और एमएसएमई को टूल्स, प्रिसीजन घटकों, मोल्ड्स, डाइज, जिक्स और फिक्सचर्स आदि के जरिए प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करते हैं। ये प्रौद्योगिकी केन्द्र उद्योग के लिए तैयार श्रमशक्ति सृजित करने के लिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं जिसमें एमएसएमई के लिए उभरते हुए क्षेत्र की आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रमों जैसे रोबोटिक्स, ईवी, डिजिटल सेवाएं आदि शामिल हैं तथा ये प्रौद्योगिकी केन्द्र उद्योग के साथ-साथ कारीगरों की भी आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा औद्योगिक कार्यबल को पुन: कौशल भी प्रदान करते हैं।

मंत्रालय पीएम विश्वकर्मा स्कीम का भी कार्यान्वयन कर रहा है। कौशल उन्नयन घटक के अंतर्गत सितंबर, 2023 में इस स्कीम की शुरुआत से लेकर अब तक देशभर में 30 लाख पंजीकृत लोगों में से 23.72 लाख लाभार्थियों को आधारभूत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

*****